राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

कमांक प.19(1)वित्त/अंकेक्षण/2019 जयपुर, दिनांकः 25-02-2019

1. प्रमुख शासन सचिव,
   नगरीय विकास व आवासन विभाग,
   राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव,
   ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव,
   कृषि विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव,
   स्वायत्त शासन विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव,
   महिला एवं बाल विकास विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

विषय : निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए वांछित कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 राजस्थान विधानसभा में दिनांक 13.02.2019 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन की **मुद्रित प्रति (हिन्दी में) संलग्न** कर प्रेषित की जा रही है।

आपको विदित है निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवदेन वर्ष 2017–18 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति) में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाये जाने होते हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट आपके विभाग/नियंत्रणाधीन संस्थाओं/निकायों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि तीन माह (दिनांक 12.05.2019 तक) में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान से संवीक्षोपरान्त 30 प्रतियों में राजस्थान विधानसभा (स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति), चार प्रतियों में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। प्रतिवेदन में दर्शाई गई त्रुटियों/कमियों को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित की जावे। प्रतिवेदन में दर्शायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लायी जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार
(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 की मुद्रित प्रति)

भवदीय,

(निरजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. उप सचिव, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, माननीय राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
7. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान,जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान,जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय, राजस्थान,जयपुर।
10. शासन सचिव, सहायता विभाग (मुख्यमंत्री अकाल, बाढ सहायता कोष) राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग राजस्थान,जयपुर।
15. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग राजस्थान,जयपुर।
16. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 की **मुद्रित प्रति (हिन्दी में) संलग्न** कर परिपत्र के पृष्ठांकन क्रम संख्या 1 से 15 पर अंकित विभागों को इस विभाग द्वारा प्रेषित कर दी गई है। शेष संबंधित विभागों को आपके स्तर से प्रेषित करावें तथा इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की वेबसाइट lfad.raj.nic.in पर अपलोड कर उनको यह सूचित करें कि आवश्यकता होने पर संबंधित आक्षेपों/रिपोर्ट की प्रति उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है या अपने प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष से संबंधित आक्षेपों की प्रतियां प्राप्त कर अनुपालना भिजवाने की व्यवस्था कर सकते है।
17. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र का प्रकाशन वित्त विभाग की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें।

(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्र)
संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4108, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर फोन 2227450
वेब–साईट www.finance.rajasthan.gov.in ई–मेल dsfaudit@rajasthan.gov.in